न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री चन्द्रभानसिंह भाटी, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 149 / 2022
GCMS Case No. 2022/307

सायल :– **बनाम** **गैरसायलः–**

सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक पाली

प्रकाश पुत्र श्री रामचन्द्र जाति नाई निवासी रॉकी का जाव, सोजत सिटी पुलिस थाना सोजत सिटी जिला पाली

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)(3) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :
सायल की ओर से अभियोजन अधिकारी पाली
गैर सायल स्वयं उपस्थित

:: निर्णय ::

दिनांक :– 16-1-2023

सायल जिला पुलिस अधीक्षक पाली की ओर से दिनांक .29.09.2022 को गैरसायल प्रकाश पुत्र श्री रामचन्द्र जाति नाई निवासी रॉकी का जाव, सोजत सिटी पुलिस थाना सोजत सिटी जिला पाली के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(3) के अन्तर्गत परिवाद / सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल थाना सोजत सिटी पाली का आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति हैं, जिसके खिलाफ 2015 से प्रकरण न्यायालय में पेश होने तक कुल 3 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए है। तीनों प्रकरणों में गैरसायल को दोषसिद्ध घोषित किया जाकर सजा से दण्डित किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.स.	मु0न0	धारा	नतीजा पुलिस	निर्णय
1	287 /19-09-2015	20 / 54 आबकारी अधि.	चालान नम्बर 139 / 30.09.2015	दिनांक 16.12.16 को माननीय न्यायालय एसीजेएम सोजत द्वारा 300 रूपये के अर्थदण्ड व धारा 5 पीओ एक्ट के तहत दंडित किया गया।
2	33 /01-7-2017	19 / 54 आबकारी अधि.	चालान नम्बर 14 / 18.02.2017	दिनांक 19.07.2018 को माननीय न्यायालय एसीजेएम सोजत द्वारा 300 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
3	151 /13-07-2018	19 / 54 आबकारी अधि.	चालान नम्बर 91 / 25.07.2018	दिनांक 25.06.2019 को माननीय न्यायालय एसीजेएम सोजत द्वारा 1500 रूपये के अर्थदण्ड व धारा 5 पीओ एक्ट के तहत दंडित किया गया।

उपरोक्त दर्ज चालान सुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम में दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित है कि गैरसायल प्रकाश पुत्र श्री रामचन्द्र जाति नाई निवासी रॉकी का जाव, सोजत सिटी पुलिस थाना सोजत सिटी जिला पाली अवैध शराब के धन्धे में लिप्त है उक्त गैरसायल के अवैध शराब बेचने से ग्रामवासियों व बच्चो पर गलत प्रभाव पडने की शिकायत समय समय पर मिलती रही है। जो आदतन अपराधी होने से आम जनता में भय व्याप्त है एवं लोग गैरसायल के भय से पुलिस को सूचना देने से कतराते है। निरन्तर अपराध करने से जनता में दुष्प्रभाव पडता है व पुलिस की छवि पर भी लोगो का अविश्वास प्रकट होने की

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः इस्तगासा बरखिलाफ गैरसायल के अन्तर्गत धारा 2(ख)(3)राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कानूनी कार्यवाही करावे।

सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद/सूचना पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरूद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद है। गैरसायल के विरूद्ध लगाये गये आरोपो की सामान्य प्रकृति की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना/परिवाद की तामिल करवाई गई।

गैर सायल स्वंय न्यायालय में उपस्थित होकर निवेदन किया कि उसके विरूद्ध समस्त प्रकरण पुराने है तथा वर्तमान वह एक आम जीवन बसर कर रहा है तथा मजदूरी कर के अपना परिवार चला रहा है। वह अब शराब का धन्धा नही करता है। अतः उसके विरूद्ध पेश इस्तगासा खारिज फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन, अनुशीलन एवं विश्लेषण किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल के विरूद्ध माननीय अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोजत के मुकदमा नम्बर 658/18 में दिनांक 25.06.2019 को आदेश पारित करते हुए धारा 19/54 आबकारी अधिनियम में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर 1500/– रूपये के अर्थदण्ड एवं 5 पीओ एक्ट के तहत दंडित किया गया। इसी प्रकार माननीय अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोजत के मुकदमा नम्बर 547/15 में दिनांक 16.12.2016 को आदेश पारित करते हुए 20/54 आबकारी अधिनियम में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर 300 रूपये के अर्थदण्ड व धारा 5 पीओ एक्ट के तहत दण्डित किया गया, इसी प्रकार माननीय अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोजत के मुकदमा नम्बर 674/17 में दिनांक 19.07.2018 को आदेश पारित करते हुए 19/54 आबकारी अधिनियम में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर 300 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया उपरोक्त प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(3) के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजात् के आधार पर गैरसायल प्रकाश पुत्र श्री रामचन्द्र जाति नाई निवासी रॉकी का जाव, सोजत सिटी पुलिस थाना सोजत सिटी जिला पाली को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 3(3)(क) के तहत दो माह की अवधि के लिए पुलिस थाना सोजत जिला पाली से निष्काषित कर पुलिस थाना बिलाडा जिला जोधपुर के नियन्त्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। गैरसायल आज की तारीख से 15 दिवस पश्चात अर्थात दिनांक 31-1-2023 से 60 दिन के लिये पुलिस थाना बिलाडा जिला जोधपुर में सप्ताह में एक बार अर्थात 60 दिन में आठ बार अपनी उपस्थिति देगा तथा थानाधिकारी बिलाडा जिला जोधपुर गैरसायल की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एवं रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। गैरसायल इस अवधि में नेकचलन रहेगा तथा सदाचार एवं शांति बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ हथियार/शस्त्र नही रखेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में कर्ता/दुष्प्रेरक के रूप में भाग नही लेगा एवं न ही किसी आपराधिक कार्य में सहायता करेगा। गैरसायल प्रकाश पुत्र रामचन्द्र इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका 10

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

हजार रूपये एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 के तहत पेश कर तस्दीक करायेगा। थानाधिकारी पुलिस थाना सोजत जिला पाली गैरसायल प्रकाश पुत्र रामचन्द्र को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथि को पुलिस थाना बिलाडा जिला जोधपुर की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। थानाधिकारी बिलाडा जिला जोधपुर उनके यहां गैर सायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं थानाधिकारी सोजत जिला पाली अपने थाना क्षेत्र में गैरसायल के वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ थानाधिकारी पुलिस थाना सोजत एवं थानाधिकारी बिलाडा जिला जोधपुर को भिजवाई जावे।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 16-1-2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)